(80)

राजस्व द्वितीय अपील क. : /2018

माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर के समक्ष

अपील-0144/2019/बडवानी/भू.रा.

भानुदास पिता भास्कर राव पाठक,
आयु 80 वर्ष, धंधा – सेवानिवृत्त शासकीय सेवक
निवासी ग्राम खेतिया, तहसील पानसेमल,
जिला बडवानी

—— अपीलार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ... प्राथीं ...
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 03-01-19
को प्रस्तुत।
03
03-01-2019
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला बडवानी

रेस्पांडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र. भूराजस्व संहिता

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा प्रथम राजस्व अपील प्रकरण क. 892/17–18 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 (जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 05.10.2018 को प्राथमिक रूप से निरस्त किया) से असंतुष्ट एवं दुखित होकर यह द्वितीय अपील विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्नों पर नियत अवधि में प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय मुजरा देते नियत अवधि में योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करता है –

आयुक्त कार्यालय
22-1-19 को प्राप्त

अपील के आधार

1– यह कि, विद्वान कलेक्टर महोदय तथा माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि विधान तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 0144/2019/बडवानी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	अपीलार्थी की ओर से श्री कपिल यादव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा शिकायती एवं प्रशासकीय स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जो कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता के किसी भी धारा के अन्तर्गत नहीं आता है । अत: अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टाया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	